वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि. ०१ मार्च, २०२४ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग,

शासन निर्णय, क्रमांक : विविआ-२०२४/प्र.क्र.६२/प्रशासन-१

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक : ११ मार्च, २०२४

विभाषः । । भाषः, २०२४

- संदर्भ :- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विविआ १०१६/प्र.क्र.३६८/प्रशासन-१, दि. २९ डिसेंबर, २०२२
 - २. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विविआ २०२३/प्र.क्र. १४३/प्रशासन-१, दि. १५ मार्च, २०२३
 - ३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/ आ.पु.क. दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४

प्रस्तावना:-

संदर्भाधिन क्र. १ येथील दि. २९.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयातील ३८४ नियमित + ७१ बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध करून घ्यावयाची पदे अशा एकूण ४५५ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सदर सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेल्या ३८४ नियमित पदांच्या ८० टक्के पदे स्थायी करण्यास संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. आता संदर्भाधिन क्र.३ येथील दिनांक २१.२.२०२४ चा शासन निर्णयास अनुसरून वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील ७७ अस्थायी पदे + मृत संवर्गातील ३४ कार्यरत पदे (अधिसंख्य पदे - वित्त विभाग (खुद्द) मधील शिपाई संवर्गातील ५२ पैकी २८ कार्यरत पदे, वाहनचालक संवर्गातील ७ पैकी २ कार्यरत पदे व राज्य लॉटरी संचालनालयातील शिपाई संवर्गातील ४ पैकी २ कार्यरत व हमाल संवर्गातील ५ पैकी २ कार्यरत पदे) अशा एकूण १११ अस्थायी पदांना (७७ अस्थायी + ३४ अधिसंख्य = एकूण १११ पदे) दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ७ येथील शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील मंजूर ३८४ नियमित पदांपैकी ७७ अस्थायी पदे + मृत संवर्गातील ३४ कार्यरत पदे (अधिसंख्य पदे - वित्त विभाग (खुद्द) मधील शिपाई संवर्गातील ५२ पैकी २८ कार्यरत पदे, वाहनचालक संवर्गातील ७ पैकी २ कार्यरत पदे व राज्य लॉटरी संचालनालयातील शिपाई संवर्गातील ४ पैकी २ कार्यरत व हमाल संवर्गातील ५ पैकी २ कार्यरत पदे) अशा एकूण १११ अस्थायी पदांना (७७ अस्थायी + ३४ अधिसंख्य = एकूण १११ पदे) दि.०१.०१.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ (दोन्ही दिवस धरुन) या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

| अ. क्र. | पदनाम | सुधारित आकृतीबंध | सुधारित आकृतीबंधानुसार स्थायी व अस्थायी पदांचे विवरण | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | स्थायी | अस्थायी | एकूण | | | | |
| विवरणपत्र – अ (वित्त विभाग (खुद्द)) | | | | | | | | | |
| ٩. | अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव | 08 | 03 | 09 | 08 | | | | |
| ٦. | सह/ उप सचिव | 98 | ०८ | ०६ | 98 | | | | |
| 3. | अवर सचिव | २१ | 98 | ०२ | २9 | | | | |
| 8. | अवर सचिव (विधि) | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| ч. | सहायक संचालक | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| ξ. | कक्ष अधिकारी | (90 | 4८ | 92 | (90 | | | | |
| ७. | संशोधन अधिकारी | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| ۷. | लेखा अधिकारी | 03 | 00 | 03 | 03 | | | | |
| ٩. | वरीष्ठ स्वीय सहायक | 03 | ०२ | 09 | 03 | | | | |
| 90. | निवडश्रेणी लघुलेखक | ०२ | 09 | 09 | ०२ | | | | |
| 99. | उच्चश्रेणी लघुलेखक | 92 | 0(9 | ०५ | 92 | | | | |
| ٩२. | निम्नश्रेणी लघुलेखक | 93 | 0(9 | ०६ | 93 | | | | |
| 93. | लघुटंकलेखक | ०९ | 00 | ०२ | ०९ | | | | |
| 98. | सहायक कक्ष अधिकारी | 90८ | 904 | 03 | १०८ | | | | |
| 94. | सहायक लेखा अधिकारी | 03 | 00 | 03 | 03 | | | | |
| ٩٤. | लिपिक- टंकलेखक | ९२ | ९० | ०२ | ९२ | | | | |
| 90. | माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| | (प्रशासक आज्ञावली तज्ञ) | | | | | | | | |
| ٩८. | माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| | (आज्ञावली तज्ञ) | | | | | | | | |
| ٩९. | माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| | (सहायक आज्ञावली तज्ञ) | | | | | | | | |
| २०. | वाहनचालक | (०७) मृत संवर्ग | बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा (०७) मृत संवर्ग | | | | | | |
| २१. | शिपाई | (५२) मृत संवर्ग | बाह्ययंत्रणेद्वारे | घ्यावयाच्या सेवा | (५२) मृत संवर्ग | | | | |
| | एकूण पदे | ३६० | 300 | ५३ | ३६० | | | | |
| | • | विवरणपत्र - ब (| राज्य लॉटरी संच | ालनालय) | | | | | |
| ٩. | आयुक्त लॉटरी | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| ٦. | अवर सचिव | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| 3. | कक्ष अधिकारी | ०२ | 00 | ०२ | ०२ | | | | |
| ٧. | राज्य लॉटरी अधिकारी | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| | (सहा. संचालक) | | | | | | | | |
| ዓ. | लेखा अधिकारी | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| ξ. | उच्चश्रेणी लघुलेखक | 09 | 00 | 09 | 09 | | | | |
| 0. | सहायक कक्ष अधिकारी | ०५ | 00 | ०५ | ०५ | | | | |
| ۷. | सहायक राज्य लॉटरी अधिकारी | 03 | 00 | 03 | 03 | | | | |
| | (अल्पबचत अधिकारी .) | | | | | | | | |
| ۶. | लिपिक- टंकलेखक | ०९ | 00 | ०९ | ०९ | | | | |

| 90. | वाहन-नि-यंत्रचालक | ०२(मृत संवर्ग) | बाह्ययंत्रणेद्वारे | घ्यावयाच्या सेवा | 05 |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----|
| 99. | शिपाई | ०४ (मृत संवर्ग) | बाह्ययंत्रणेद्वारे | ٥8 | |
| ٩२. | हमाल | ०५ (मृत संवर्ग) | बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा | | ०५ |
| एकूण पर्दे | | २४ | 00 | २४ | २४ |
| अ + ब | | 3८४ | ३०७ | 66 | 3८४ |

- २. सुधारित आकृतीबंधामध्ये उपरोक्त तक्त्यातील (अ) वित्त विभाग (खुद्द) मधील अ.क्र. २० व २१, (ब) राज्य लॉटरी संचालनालयामधील अ.क्र. १०, ११ व १२ येथील पदे मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. सदर संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य समजण्यात येऊन, सदर अधिसंख्य पद त्यावर कार्यरत व्यक्तीच्या सेवानिवृती/ राजीनामा/ मृत्यू किंवा अन्य कारणामुळे रिक्त झाल्यानंतर ते पद आपोआप रद्द होणार आहे.
- ३. उपरोक्त तत्क्यातील विवरणपत्र अ व ब मधील पदांसाठी होणारा खर्च अनुक्रमे
 - १) मागणी क्रमांक:- जी-४, २०५२-सचिवालय सर्वसाधारण सेवा-वित्त विभाग
 - २) मागणी क्रमांक:- जी-२, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा-राज्य लॉटरी संचालनालय या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो चालू वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- ४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शा.नि.क्र.-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१११३१९५९५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(शुभांगी शिंदे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
- २. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
- ३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
- ४. आयुक्त, राज्य लॉटरी संचालनालय, मुंबई
- ५. उप सचिव, आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ६. अवर सचिव/लेखा अधिकारी, रोखशाखा, राज्य लॉटरी संचालनालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- ७. निवड नस्ती, प्रशासन-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई